COVID-19 के टीके –

नियोक्ताओं और लघु व्यापारों के लिए कार्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जानकारी

टीकाकरण और WHS कर्तव्य

कार्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कानून मॉडल के अधीन आपको जितना यथोचित संभव हो सके, कार्यस्थल में अपने कर्मियों की, अपनी और दूसरे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। हो सकता है कि आप काम पर कर्मचारियों के COVID-19 की चपेट में आने के खतरे को पूरी तरह से दूर न करने में सक्षम न हो पाएँ। परन्तु, आपको खतरे को कम से कम करने के लिए सभी यथोचित कदम उठाने चाहिए।

कार्यस्थल में खतरों को कम करने के लिए, आपके लिए यह ज़रूरी है कि आप:

- खतरा आकलन करें
- नियंत्रण उपायों और इस बात पर ग़ौर करें कि वे खतरों का प्रबंध करने में मदद कैसे देते हैं, इसमें शारीरिक दूरी, बढ़िया स्वच्छता और नियमित साफ-सफाई – तथा साथ ही कोई उपलब्ध टीके शामिल हैं
- कर्मचारियों और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रतिनिधियों (HSRs) के साथ COVID-19 तथा नियंत्रण उपायों, तथा साथ ही टीकों के बारे में सलाह-मशविरा करें
- यह निर्धारण करें कि आपके कार्यस्थल में लागू किए जाने के लिए कौन से उपाय यथोचित तौर पर संभव हैं

क्या अपने कार्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कर्तव्य पूरे करने के लिए अनिवार्य टीकाकरण को एक नियंत्रण उपाय के तौर पर शामिल करना मेरे लिए ज़रूरी है?

इस बात की संभावना नहीं है कि कार्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कानूनों के अधीन टीकाकरण करने की आवश्यकता यथोचित तौर पर संभव होगी।

क्या आपको अपने कर्मचारियों के लिए टीककारण कराना आवश्यक बनाने की ज़रूरत है या नहीं, यह आपके द्वारा अपना खतरा आकलन करते समय परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यदि आप अपने कर्मचारियों के लिए टीकाकरण कराना आवश्यक बनाने पर ग़ौर कर रहे हैं तो सलाह लें और कार्यस्थल संबंधों, भेदभाव और गोपनीयता मुद्दों के बारे में सोचें।

हो सकता है कि कुछ उद्योगों और कर्मचारियों के लिए टीकाकरण कराना आवश्यक बनाने के लिए जन स्वास्थ्य आदेश जारी किए जाएँ। अपनी स्वास्थ्य एजेंसी की सलाह की ताजा जानकारी रखें।

क्या मैं उपभोक्ताओं के लिए यह आवश्यक बना सकता हूँ कि वे मेरे कार्यस्थल पर प्रवेश करने से पहले ये प्रमाण दिखाएँ कि उनका टीकाकरण हुआ है?

इस बात की संभावना नहीं है कि कार्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कानून आपके लिए यह आवश्यक बनाएँ कि आप उपभोक्ताओं और विज़िटरों (मुलाकात करने आने वाले लोगों) से टीकाकरण का प्रमाण दिखाने के लिए कहें। इससे पहले कि आप इस तरह की आवश्यकता लागू करें, सलाह लें क्योंकि गोपनीयता और भेदभाव से जुड़े मुद्दे हो सकते हैं।

क्या मेरे कर्मचारी इस वजह से काम करने से मना कर सकते हैं क्योंकि किसी अन्य कर्मचारी ने टीकाकरण नहीं कराया है?

WHS कानूनों के तहत, कोई कर्मचारी इसलिए काम करना बंद कर सकता है या इससे मना कर सकता है यदि उन्हें किसी जोखिम के तात्कालिक या निकटस्थ तौर पर चपेट में आने से स्वास्थ्य या सुरक्षा को गंभीर खतरा होने की यथोचित चिंता हो।

अधिकांश परिस्थितियों में, कोई कर्मचारी काम करना बंद करने के लिए कार्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कानूनों पर इसलिए निर्भर नहीं कर पाएगा क्योंकि किसी अन्य कर्मचारी ने टीकाकरण नहीं करवाया है।

यदि मैं अपने कर्मचारियों का टीकाकरण नहीं करवाता हूँ और उनमें से किसी कर्मचारी को COVID-19 हो जाता है तो क्या कार्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कानूनों के अधीन मुझे जिम्मेदार ठहराया जाएगा?

इस बात की संभावना नहीं है कि यदि आप कर्मचारियों के लिए टीकाकरण कराना आवश्यक नहीं बनाते हैं तो केवल इस वजह से आपने कार्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कानून मॉडल की उल्लंघना की है।

आपके लिए यह ज़रूरी है कि आप अपने कार्यस्थल पर सभी यथोचित संभव नियंत्रण उपाय लागू करना जारी रखें, जैसे कि शारीरिक दूरी, बढ़िया स्वच्छता और नियमित साफ-सफाई तथा रखरखाव, भले ही कर्मचारियों का टीकाकरण हुआ हो।

और अधिक जानकारी

- स्वास्थ्य एवं टीका जानकारी - स्वास्थ्य विभाग
- कार्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा - Safe Work Australia
- कार्यस्थल अधिकार - Fair Work Ombudsman